



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

उत्तर प्रदेश राज्य सरकार

ES 749585

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें
जनपद-खीरी।

चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग जनपद-खीरी में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत ब्लॉक एवं जिला स्तर पर सर्पोटिव सुपरविजन, आरओआई0 कार्यक्रम, एनओएमओएचओपी0 कार्यक्रम एवं डीओपीओएमओयू0 तथा अन्य कार्यक्रमों के अन्तर्गत कार्मशियल वाहन किराये पर उपलब्ध कराये जाने हेतु जिला निविदा समिति द्वारा दिनांक-22.10.2018 में लिये गये निर्णय के क्रम में वर्ष 2018-19 हेतु मेसर्स कान्हा ट्रेवल्स फर्म से सेवायें लेने का निर्णय लिया है। आज दिनांक-19.11.2018 को पक्ष सं0-1 मेसर्स कान्हा ट्रेवल्स युवराज पैलेस लखीमपुर खीरी एवं पक्ष सं0-2 राज्य सरकार की ओर से मुख्य चिकित्सा अधिकारी/जिला स्वास्थ्य समिति के मध्य निम्नलिखित शर्तों एवं नियमों के अन्तर्गत अनुबन्ध हुआ। यह अनुबन्ध दि0-19.11.2018 से 1 वर्ष तक अनुमन्य रहेगा।

- 1-निविदा प्रक्रिया के अन्तर्गत की गई समस्त कार्यवाही इस अनुबन्ध का भाग मानी जायेगी।
- 2-समस्त देनदारियों का भुगतान पक्ष सं0-2 द्वारा बजट प्राप्त होने पर ही किया जायेगा तथा पक्ष सं0-1 द्वारा वाहन देनदारियों का भुगतान होने तक उपलब्ध कराये जाते रहेंगे। इस हेतु पक्ष सं0-1 द्वारा कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की जायेगी।
- 3-राजकीय जनहित में किराये पर आपूर्ति किये जाने वाले वाहन हेतु पक्ष सं0-1 द्वारा कोई भी शर्त नहीं रखी जायेगी अन्यथा जमानत की धनराशि जब्त कर ली जायेगी। निविदा दाता द्वारा जमानत राशि (एफओडीओआर0) रू0 4,50,000.00 (रू0 चार लाख पचास हजार मात्र) होगी जो जिला स्वास्थ्य समिति के नाम बन्धक होगी।
- 4-समस्त बीजकों का भुगतान नियमानुसार विभिन्न कर, यथा आयकर काटकर किया जायेगा।
- 5-किराये पर आपूर्ति किये गये वाहनों की गुणवत्ता मानक स्तरीय/शर्तों के अनुरूप न होने पर सक्षम अधिकारी द्वारा स्वयंविवेक से स्थानीय स्तर पर वाहन प्राप्त कर लिया जायेगा तथा अधिक अन्तर भुगतान की राशि पक्ष सं0-1 द्वारा वहन की जायेगी।
- 6-वाहन में ईंधन (डीजल/पेट्रोल) प्रति माह अधिकतम 2000 कि0मी0 तक प्रति वाहन को चलाये जाने हेतु पक्ष सं0-1 द्वारा भराया जायेगा।
- 7-ट्रेवल ऐजेन्सी/सेवा प्रदाता, पक्ष सं0-2 द्वारा अनुमोदित वाहन रू0-32700.00 प्रति माह समस्त करों सहित की दर पर वाहन उपलब्ध करायेगा। तथा वाहन निविदा शर्तों के अनुसार उपलब्ध कराये जायेंगे।
- 8-वाहन के संचालन/रख रखाव हेतु समस्त व्यय यथा वाहन चालक का किराया, टूट-फूट, पार्किंग शुल्क, टोल टैक्स, आदि ट्रेवल ऐजेन्सी पक्ष सं0-1 द्वारा वहन किया जायेगा।
- 9-वाहन से किसी प्रकार की दुर्घटना होने पर वाहन/लाभार्थी या अन्य किसी को किसी प्रकार की क्षति होने पर उसकी प्रतिपूर्ति की समस्त जिम्मेदारी बीमा कम्पनी/ट्रेवल ऐजेन्सी/वाहन मालिक व पक्ष सं0-1 की कम्प्रेहेन्सिव इन्शोरेंस के तहत मिलेगी।
- 10-उपलब्ध कराये गये वाहन का सम्बन्धित विभाग में ट्रेक्सी परमिट में पंजीकरण एवं वाहन का बीमा कम्पनी में इन्श्योरेंस होना अनिवार्य है, जिसकी वैधता वाहन के संचालन के समय तक होने का उत्तरदायित्व पक्ष सं0-1 का होगा।
- 11-वाहन में चार सदस्यों के बैठने एवं सामान रखने की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। (Type of vehicle: sedan or Hatchback or other vehicle which can accommodate 4 passenger with sufficient space to keep kit/Modules/Medicines)
- 12-वाहन के एक्सीडेंट या किसी गैर कानूनी गतिविधि में पाये पर सम्पूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।
- 13-गाडी की सर्विस/मैटेनेंस/टूट-फूट की जिम्मेदारी सेवा प्रदाता की होगी।

For KANHA TRAVELS

Suella Singh
PROPRIETOR

Ram Dularav Bhaskar

NOTARY ADVOCATE

Tahsil-Lakhimour-Khan (U.P.) INDIA

- 14-यदि वाहन समय से उपलब्ध नहीं कराया जाता है टैक्सी वाहन के खराब होने अथवा बिना सूचना के अनुपस्थित रहता है अथवा किसी अन्य टैक्सी परमिट वाहन की व्यवस्था नहीं किया जाता है ऐसी दशा में उस दिवस का भुगतान नहीं किया जायेगा तथा पेनल्टी के रूप में कम से कम ₹0 1000/- प्रतिदिन के दर से वसूली की जाएगी।
- 15-अनुबंधित वाहन की उपलब्धता सम्बन्धित इकाई पर कम से कम अनिवार्य रूप से 8 घंटे होगी, तथा कार्य अधिकता के समय ये घण्टे बढ़ भी सकते हैं। प्रतिदिन बिना अनुमति ड्राइवर वाहन को इकाई से नहीं ले जाएगा।
- 16-वाहनों को कम से कम 1000 किमी० चलना होगा, यदि वाहन प्रतिमाह 1000 किमी० से कम चलती है तो अनुपातक भुगतान किया जायेगा। सभी वाहनों का मीटर सुचारु रूप से क्रियाशील होना आवश्यक है।
- 17-फर्म द्वारा टोल टैक्स स्वयं वहन किया जायेगा।
- 18-सेवाप्रदाता द्वारा की जानी वाली दर/कीमत कान्ट्रैक्ट के जारी होने की तारीख से न्यूनतम एक (01 वर्ष) की अवधि के लिये वैध होगी और एजेंसी द्वारा स्वीकृत होगी।
- 19-जिला स्वास्थ्य समिति (डी०एच०एस०/एन०एच०एम०) बिना किसी कारण बताये निविदा के पूर्ण या किसी भी भाग को रद्द करने/अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
- 20-वाहन जी०पी०आर०एस० से सुसज्जित होना चाहिये। जी०पी०आर०एस० के आकड़ों को मिल इनवाइस/चालान के साथ जमा करना होगा।
- 21-निविदा में किसी प्रकार का विवाद होता है तो निविदा समिति का अंतिम निर्णय मान्य होगा।
- 22-किसी भी विधिक वाद की स्थिति में माननीय न्यायालय क्षेत्र खीरी रहेगा।
- 23-निविदादाता/बिडर द्वारा निविदा डालते समय प्रक्रिया की पूर्ण जानकारी अथवा अन्य किसी कारण से शर्तों का पूर्ण न कर पाने अथवा बाधित हो जाने के कारण निविदा न पडने पर विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
- 24-गाड़ी की संख्या आवश्यकतानुसार घट/बढ़ सकती है। समय समय पर शासनादेशों एवं मिशन निदेशक के निर्देशों का पालन करना होगा। वाहन लगातार उपलब्ध नहीं कराने पर पक्षपात के बिना अनुबंध रद्द किया जा सकता है और अर्नेस्टमनी/सिक्योरिटी भी जब्त किया जायेगा।
- 25-ब्लाक स्तर पर प्रत्येक ब्लाक 1 वाहन, (कुल 15), जिला स्तर पर 2 वाहन, एन०एम०एच०पी० कार्यक्रम हेतु 1 वाहन, डी०पी०एम०यू० में 1 वाहन, आर०आई० कार्यक्रम हेतु 3 वाहन (3 माह हेतु, अवधि बढ़ने पर इसे बढ़ाया जा सकता है) उपलब्ध करायेगें। आवश्यकता अनुसार वाहनों की संख्या घटाई एवं बढ़ाई जा सकती है।
- 26-वाहन निर्मित वर्ष 2014 के पूर्व का नहीं होना चाहिए।
- 27-टैक्सी वाहन और ड्राइवर को सम्बन्धित अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना बदला नहीं जाएगा।

समय- समय पर शासन द्वारा समस्त दिशा निर्देश दोनों पक्षों को मान्य होंगे।

दिनांक-19.11.2018

पक्ष सं०-1

पक्ष सं०-2

In Presence Of

Signed For and behalf of the Governer By

In Presence Of

निविदादाता के द्वारा KANHA TRAVELS

Sudhanshu

(सुधांशु मोहन अवस्थी)

PROPRIETOR

मेसर्स कान्हा ट्रेवल्स,

युवराज पैलेस,

लखीमपुर-खीरी।

2.हस्ताक्षर

नाम- सुधांशु मोहन अवस्थी

पिता का नाम- सुधांशु मोहन अवस्थी

स्थायी पता- कान्हा ट्रेवल्स, लखीमपुर-खीरी

मो०नं०-9026072930

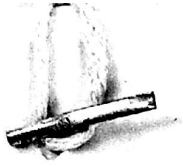
Ram Dularay Bhaskar

NOTARY, ADVOCATE

Lakhimpur-Kheri (U.P.) INDIA

19.11.18

Only Signature of Sr. identified by Sr. Attest



12

कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, खीरी।

पत्रांक-मु0चि0अ0/एन0एच0एम0/निविदा-सर्पोटिव सुपरविजन /2018-19/ ५५९-10 दिनांक-19.11.2018
कार्यालय ज्ञाप

वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग जनपद खीरी में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना के अन्तर्गत ब्लाक एवं जिला स्तर पर सर्पोटिव सुपरविजन, आर0आई0 कार्यक्रम, एन0एम0एच0पी0 कार्यक्रम एवं डी0पी0एम0यू0 तथा अन्य कार्यक्रमों के अन्तर्गत कामर्शियल वाहन किराये पर लेने हेतु निविदायें आमंत्रित की गई थी तथा समिति के समस्त सदस्यों एवं इच्छुक निविदादाताओं की उपस्थिति में खोली गई, जिसमें सर्पोटिव सुपरविजन में मेसर्स कान्हा ट्रैवल्स, युवराज पैलेस, लखीमपुर खीरी की न्यूनतम निम्नानुसार दरें अनुमोदित की गई-

क्र0स0	विवरण	अनुमोदित दरें (समस्त करों सहित)
1	सर्पोटिव सुपरविजन, जिला एवं ब्लाक स्तरीय	रु0 32700.00 प्रति माह

(डा0 मनोज अग्रवाल)
मुख्य चिकित्सा अधिकारी
खीरी।

पृष्ठांकन सं0 -मु0चि0अ0/एन0एच0एम0/निविदा- सर्पोटिव सुपरविजन /2018-19/ ५५९-10 तददिनांक
प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मिशन निदेशक, एन0एच0एम0, उ0प्र0 लखनऊ।
2. जिला अधिकारी/अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति, खीरी।
3. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका, जिला पुरुष/महिला चिकित्सालय खीरी।
4. समस्त अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी/नोडल अधिकारी, खीरी।
5. जिला मलेरिया/क्षय रोग/अन्धता निवारण/कुष्ठ रोग/प्रतिरक्षण अधिकारी, खीरी।
6. समस्त अधीक्षक/प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, सामु0/प्रा0स्वा0केन्द्र जनपद-खीरी।
7. वित्त एवं लेखा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्साधिकारी, खीरी।
8. जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, एन0 एच0 एम0, खीरी।
9. पटल सहायक एन0एच0एम0, खीरी।
10. मेसर्स कान्हा ट्रैवल्स, युवराज पैलेस, लखीमपुर खीरी को उनके अनुबन्ध दिनांक 19.11.2018 के कम में उपलब्ध कराये जाने वाले समस्त वाहनों के समस्त अभिलेख (रजिस्ट्रेशन, टैक्सी परमिट, वाहन बीमा आदि) वाहनों की सूची, वाहन चालक का नाम, पता, मोबाइल न0, चालक का लाइसेंस आदि सहित अविलम्ब प्रस्तुत करें।

Sushant

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
खीरी।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना के अन्तर्गत जनपद/ब्लाक स्तरीय अधिकारियों के पर्यवेक्षण हेतु भेजे जाने वाले वाहनो का विवरण-जनपद खीरी

क्रम सं०	यूनिट/सामु०/प्रा० स्वा०केन्द्र का नाम, जहाँ वाहन भेजी जा रही है	वाहन का मेक/माडल	वाहन संख्या	वाहन रजिस्ट्रेशन संख्या	वाहन का परमिट संख्या /वैधता तिथि	वाहन चालक का नाम	वाहन चालक का पूर्ण पता	वाहन चालक का मोबाइल न०
1	NRHM	DIZER 2018	UP31AT3036	UP31AT3036	CC/STA/UP/2018/48501	MERAJ	Lakhimpur	7706997218
2	NRHM	BOLERO/2016	UP31T8195	UP31T8195	CC/STA/UP/2016/00902	ROHIT VERMA	KALAAM	6393426716
3	DPMU	Dizer 2018	UP31AT1843	UP31AT1843	CC/STA/UP/2018/23109	NIEEM	Lakhimpur	9565633572
4	NCD	BOLERO/2019	UP31AT3777	UP31AT3777	CC/ALUP/2019/1358	SABAN	Eidgah	8052569192
5	NCD	BOLERO/2015	UP31T7891	UP31T7891	CC/STA/UP/2015/05374	SATISH	Lakhimpur	8542033255
6	DTO	BOLERO/2014	UP31T6903	UP31T6903	CC/STA/UP/2014/03022	YOGESH	LAKHIMPUR	9839191328
7	फूलबेहड़	BOLERO/2019	UP31AT2837	UP31AT2837	CC/STA/UP/2019/00982	MEWA LAL	SETH GHAT ROAD	9839768525
8	फरघान	BOLERO/2018	UP31AW9219	UP31AW9219	CC/STA/UP/2018/02428	SALEEM	PHARDHAN	9792868350
9	बेहजम	BOLERO/2017	UP31T9164	UP31T9164	CC/STA/UP/2017/00626	EKKAR AHMAD	GRAM- CHHANIYA BEHJAM	9918995713
10	नकहा	BOLERO/2016	UP31T8398	UP31T8398	CC/STA/UP/2016/02200	BAAJNATH	NAKHA	9511491264
11	पलिया	BOLERO/2016	UP31T8445	UP31T8445	CC/STA/UP/2016/02459	TALVINDER SINGH	PALIA	9935131221
12	निघासन	BOLERO/2016	UP31T8541	UP31T8541	CC/STA/UP/2016/03138	ANUJ TIWARI	GRAM - RAKEHTI NIGHSON	9648249657
13	bankeganj	BOLERO/2015	UP34T8233	UP34T8233	CC/STA/UP/2015/2627	SACHIN	BANKEGANK	8726483691
14	पंसगवौ	BOLERO/2016	UP31T8413	UP31T8413	CC/STA/UP/2016/3892	SONU	SALIYA	7518033243
15	मितौली	BOLERO/2017	UP31T8412	UP31T8412	CC/STA/UP/2016/02204	RAM DHAR TIWARI	TUNNU SINGH CHAURAH	8545903485
16	घौरहरा	BOLERO/2018	UP32KN1859	UP32KN1859	CC/STA/UP/2018/825	AMAN	DHORAHA	9565877968
17	रमियाबेहड़	BOLERO/2015	UP32FN3674	UP32FN3674	CC/STA/UP/2015/3362	ANOOP	Bajpai Village	7355683360
18	कुम्भी	BOLERO/2014	UP31T8381	UP31T8381	CC/STA/2UP/2014/02226	SAFEER	GOLA	9838353918
19	ISHANGER	BOLERO/2015	UP32FN0251	UP32FN0251	CC/STA/UP/2015/2656	SURESH	ISANAGAR	8874946892
20	mohammdi	BOLERO/2019	UP31AT2806	UP31AT2806	CC/STA/UP/2019/07910	PAWAN	MOHAMMDI	6392713613
21	BIJUA	BELERO/2018	UP31AT2435	UP31AT2435	CC/STA/UP/2018/07719	Mobin	BIJUA	7800582053

दिनांक

For KANHA TRAVELS

हस्ताक्षर

सील/मुहर

PROPRIETOR